



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 961]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 28, 2017/अग्रहायण 7, 1939

No. 961]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 28, 2017/AGRAHAYANA 7, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 1463(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 952(अ), तारीख 25 जुलाई, 2017 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), द्वारा प्रकाशित किये गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना थी, उस तारीख से, जिसको राजपत्र में उक्त अधिसूचना की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना अर्न्तविष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 25 जुलाई, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में, जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अतः, अब केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (पन्द्रहवां संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 98 में —

(i) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) तारीख 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् एल, एम और एन प्रवर्गों के मोटर यानों के संचालन गियर का इस प्रकार संनिर्माण किया जाएगा कि वह समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक आईएस: 12222-2011 के अनुरूप हो।”;

(ii) उप-नियम (3) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु 1 अप्रैल, 2019 को या उसके पश्चात् तिपहिया वाहनों, जो संचालन पहिया से सुसज्जित नहीं है, मोटर साइकिलें और विनिर्मित अशक्त यात्री गाड़ी से भिन्न विनिर्मित सभी मोटर यान समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक आईएस: 11948-2010 के अनुरूप होंगे।”

[फ़ा. सं. आर टी-11028/21/2016-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 1433(अ), तारीख 20.11.2017 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2017

G.S.R. 1463(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 952 (E), dated the 25th July, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

Whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 25th July, 2017;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central

Motor Vehicles (Fifteenth Amendment) Rules, 2017.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 98, -

(i) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

“(2) On and after the 1st day of April, 2019, the steering gear of motor vehicles of categories L, M and N, shall conform to the Indian Standard IS: 12222-2011, as amended from time to time.”;

(ii) in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that on and after the 1st day of April, 2019, the steering effort of all motor vehicles other than three wheelers not fitted with steering wheel, motor cycles and invalid carriages manufactured, shall conform to the Indian Standard IS: 11948-2010, as amended from time to time.”.

[F. No. RT-11028/21/2016-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R 1433(E), dated 20.11.2017.